

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यवहार वाद क0-58ए/2011  
संस्थापित दिनांक-22.03.2010  
फाईलिंग नं. 233504000042010

1. गणेश पिता जयधारी उर्फ गिरधारी, उम्र 34 वर्ष,  
जाति भोयर, नि0 खापाखतेड़ा, तहसील आमला,  
जिला बैतूल म0प्र0।

-----वादी

-:: विरुद्ध ::-

1. गंगाराम पिता रतनलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति भोयर,  
निवासी वार्ड क्रमांक 2 आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)।
2. अमरलाल पिता रामचरण साहू, उम्र 43 वर्ष, जाति तेली,  
नि0 वार्ड क्रमांक 1 आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
3. तुलसीराम साहू पिता विष्णु दयाल साहू, उम्र 45 वर्ष, जाति तेली,  
नि0 वार्ड क्रं. 13 तहसीलदार की चाल आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल।
4. रविन्द्र कुमार पिता चन्द्रकुमार राठौर, उम्र 35 वर्ष, जाति तेली,  
नि0 वार्ड क्रं. 1 आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
5. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल म0प्र0।

-----प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 24.10.2016 को घोषित)

- 1- वादी ने यह दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम आमला, जिला बैतूल म0प्र0 स्थित खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 हे0 एवं खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 हे0 भूमि का रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा किये गये हस्ताक्षर को शून्य घोषित करने एवं उक्त भूमि पर अपने अंश का भूमि स्वामी घोषित किये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2- यह प्रकरण माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मुलताई जिला

बैतूल म0प्र0 का निर्णय दिनांक 08/02/16 के अनुसार धारा 99 सी.पी.सी. स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 29/08/11 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि विचारण न्यायालय वसीयत दिनांक 09/10/89 के संबंध में प्रथक से वाद प्रश्न निर्मित कर उभय पक्षों की साक्ष्य अभिलिखित कर पुनः प्रकरण का निराकरण करें।

3— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि नामांतरण पंजीयों का निरस्त कराये जाने हेतु तथा वादी का नाम एवं दर्ज कराये जाने हेतु अपील अनुविभागीय अधिकारी "मुलताई" के समक्ष विचाराधीन है विवादित कृषि भूमि आमला में है।

4— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गणेश प्रतिवादी कं0 01 गंगाराम की बहन शांताबाई का पुत्र है और वादी के नाना रतनलाल पिता रामू भोयर प्रतिवादी कं. 2 अमरलाल, वादी के खानदानी जमीन का क्रेता है तथा प्रतिवादी कं0 3 तुलसीराम तथा प्रतिवादी कं. 4 रविन्द्र कुमार विक्रय पत्र के साक्षी है। वादी गणेश के नाना स्व0 रतनलाल पिता रामू भोयर की खानदानी कृषि जमीन ग्राम आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 हे0 एवं खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 हे0 स्थित है, जो उक्त प्रकरण में विवादित भूमि है। उक्त विवादित भूमि पर वादी गणेश अपनी माँ शांताबाई के माध्यम से उत्तराधिकार प्राप्त कर चुका है जिसे क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिवादी कं. 1 ने ग्राम आमला के पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर रतनलाल की मृत्यु के बाद अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया तथा जानबूझकर वादी की माँ शांताबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं कराया और प्रतिवादी ने संशोधन क्रमांक 123 के नामांतरण फौती प्रविष्टि में स्व0 रतनलाल की कोई पुत्री नहीं होना अंकित कराया है। जिसका प्रमाणीकरण वर्ष 1995 में कराया है। उसी प्रकार वादी की नानी सरस्वतीबाई की मृत्यु के पश्चात् संशोधन पंजी वर्ष 2006 संशोधन क्रमांक 31 के नामांतरण फौती प्रविष्टि में कोई पुत्री नहीं होना अंकित कराया है। जिसका प्रमाणीकरण वर्ष 2006 को कराया है।

5— रतनलाल को वर्ष 1989 में लकवा नहीं हुआ था। वह रेल्वे से रिटायर कर्मचारी था। वह पढ़ा लिखा होकर हस्ताक्षर करना जानता था। रतनलाल का वादी पर भी समान प्रेम था। मरते समय उसे कोई बिमारी नहीं थी। रतनलाल ने कोई वसीयत दिनांक 09/10/89 की नहीं बनाई है। कथित वसीयत एक जाली दस्तावेज है। रतनलाल ने वसीयत लिखने के संबंध में कभी नहीं कहा उसका यह कहना रहता था कि मरने के बाद उसकी जायजाद गणेश और गंगाराम आपस में बांट लेंगे। गंगाराम ने गवाह और लिखने वालों की साजिश से झूठा वसीयतनामा बनवाया है जिस पर रतनलाल के हस्ताक्षर न होकर किसी अन्य व्यक्ति का अंगूठा लगाया गया है। रतनलाल ने वादी के पिता जयधारी उर्फ गिरधारी को घर जवाई लाया था जिसका दिनांक 01/05/1963 को कागज रतनलाल ने बनवाया था।

और उस पर उसके हस्ताक्षर किए थे।

6— आगे वादी ने अपने वाद पत्र में बताया है कि वादी को प्रतिवादी द्वारा संशोधन पंजीयों में कराये फौती अवैध नामांतरण की जानकारी वर्ष 1994 में उक्त संशोधन पंजीयों की नकल लेने पर लगी, जिसकी वादी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग मुलताई के समक्ष अपील की है, जो विचाराधीन है। वादी स्व0 रतनलाल पिता रामू भोयर का वैद्य वारिश है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 में प्रावधानित हिन्दू पुरुष की मृत्यु पश्चात् उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों का उत्तराधिकारी है। वादी प्रतिवादी कं 1 के साथ मृतक मूल पुरुष रतन पिता रामू भोयर की सम्पत्ति का वैद्य उत्तराधिकारी है। वादी के पिता जयधारी को स्व0 रतनलाल के घर दामाद लाया था, तब से ही वादी उक्त विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर कब्जे में है। प्रतिवादी कं. 01 से 03 और 04 के संयोग से अवैध तरीके से प्रतिवादी कं 2 को विवादित भूमि विक्रय कर दिया, जबकि उन्हें विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण उक्त भूमि पर किये गये विक्रय को शून्य घोषित कराये जाने तथा विवादित भूमि पर अपने अंश का भूमि स्वामी घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

7— प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जबाब में व्यक्त किया है कि वादी, प्रतिवादी कं 01 के परिवार का सदस्य नहीं है। वादी को अपनी माता शांताबाई के माध्यम से उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। वादी की माँ शांताबाई की मृत्यु रतनलाल की मृत्यु के पूर्व हो चुकी है। इस कारण दोनों नामांतरण के समय कोई पुत्री नहीं होना अंकित किया गया है। वादी विवादित भूमि पर कब्जे में दर्ज नहीं रहा है। प्रतिवादी ने कोई अवैध नामांतरण नहीं कराया है। प्रतिवादी कं. 1 को विवादित भूमि को विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है तथा उसने विशेष कथन में बताया है कि रतनलाल की पुत्री शांताबाई की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् वादी कुछ समय तक रतनलाल के घर रहा वादी का व्यवहार आचरण ठीक नहीं था।

8— प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया है कि रतनलाल पढ़े लिखे नहीं थे अंगूठा लगाते थे, हस्ताक्षर नहीं करते थे। रतनलाल ने दिनांक 09/10/1989 को वसीयत निष्पादित की है। रतनलाल अंगूठा लगाता था इसलिए उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि रतनलाल का अंगूठा निशानी है। रतनलाल ने अंगूठा लगाया है। वास्तव में न तो रतनलाल ने उक्त स्टॉम्प खरीदा, ना ही रतनलाल ने 01/05/1963 का कागज बनवाया और न ही उस पर रतनलाल ने उस पर हस्ताक्षर किए। दिनांक 01/05/1963 का कागज सांठ-गांठ कर झूठा एवं फर्जी बनाया है।

9— प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया है कि वादी ने प्रतिवादी कं0 1 के दहेज का सामान विक्रय कर दिया था इसलिए रतनलाल ने उसे घर से निकाल

दिया था, उसके बाद भी वादी रतनलाल को परेशान करता था। वादी के आचरण से रतनलाल परेशान हो गया कि जिस कारण से उसने प्रतिवादी क्रं 1 के पक्ष में दिनांक 09/10/1989 के अनुसार उक्त विवादित भूमि का वसीयत कर दिया है। रतनलाल की मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर उसे पूर्ण रूप से स्वत्व प्राप्त हो गया हैं। विवादित भूमि रतनलाल को उसकी माँ मंहगीबाई से प्राप्त हुई थी जिस कारण उक्त भूमि उसके पिता रतनलाल की निजी सम्पत्ति होकर उसे वसीयत करने का अधिकार था। वसीयत की जानकारी उसे वर्ष 1995 में लगी, जबकि उसका विवादित भूमि पर नाम दर्ज 1994 में ही हो गया था। प्रतिवादी क्रं 1 विवादित भूमि का स्वत्व अधिकारी होकर काबिज रहा तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 17/02/10 को खसरा नं. 707/1 रकबा 0.962 हे० भूमि का विक्रय प्रतिवादी क्रं. 2 को विक्रय कर दिया, जब से वह काबिज है। वादी का विवादित भूमि के संबंध में कोई स्वत्व प्राप्त न होने से वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा निराधार वाद प्रस्तुत करने से प्रतिवादी को धारा 35(क) सी.पी.सी. के तहत क्षतिपूर्ति के पात्र है। वादी का वाद अवधि बाधित है क्योंकि रतनलाल की मृत्यु दिनांक 21.09.90 को हो गई थी। इस कारण वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

10— वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

## विचारणीय प्रश्न

## निष्कर्ष

- 1— “क्या विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगाराम द्वारा प्रतिवादी क्रं. 2 अमरलाल के हित में निष्पादित प्रश्नगत पंजीयत विक्रय-पत्र दिनांकित 17/02/10 अवैध होकर अकृत एवं शून्य है?
- 2— “क्या प्रतिवादी क्रं. 2 अमरलाल, प्रतिवादी क्रं. 3 व 4 या अन्य को विवादित भूमि अवैध रूप से हस्तारित करने के लिए आमदा है?
- 3— “क्या वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है?”
- 4— “क्या वाद अवधि अंदर है?”
- 5— “क्या प्रतिवादीगण धारा 35(क) सी.पी.सी.

के अंतर्गत प्रतिकारात्मक व्यय पाने के पात्र है?"

6- "सहायता एवं वाद व्यय?"

### अतिरिक्त वाद प्रश्न कं. 1

1- "क्या वादी विवादित भूमि में अपने अंश की उद्घोषणा का पात्र है? यदि हाँ तो कितना?"

### अतिरिक्त वाद प्रश्न कं. 2

2- "क्या दिनांक 09/10/1989 को प्रतिवादी एक के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित किया गया है?"

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

### —::विचारणीय प्रश्न कं0-2 का निराकरण::—

11- माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विचारणीय प्रश्न कं0 2 का निराकरण पहले किया जाना आवश्यक दर्शित होता है, इस कारण विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण पहले किया जा रहा है।

12- वादी साक्षी गणेश (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रतनलाल उसके नाना थे। वह रेल्वे में कर्मचारी थे। उनकी जायदाद आमला में थी जिसके लिए वह दावा पेश किया है। उसके नाना रतनलाल कहते थे कि उसके मरने के बाद दोनों मामा-भांजे रतनलाल और गणेश बांट लेंगे। रतनलाल मरते तक किसी भी बिमारी से पीड़ित नहीं थे, रतनलाल हस्ताक्षर करते थे। वह स्कूल जाता था तो उसके कार्ड पर हस्ताक्षर करते थे। रतनलाल मरे जब वह उन्हीं के यहां रहता था और आते-जाते रहता था। उसके नाना वसीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था और वसीयत लिखने के बारे में भी कुछ नहीं बताया। वह सूरतलाल को जानता है। वादी की उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी राधेलाल (वा0सा0-4), वादी साक्षी राजू (वा0सा0-5) ने समर्थन किया है और अपनी साक्ष्य में बताया है कि रतनलाल पढ़ा लिखे व्यक्ति थे। वह धार्मिक किताब पढ़ते थे रेल्वे से सेवा निवृत्त कर्मचारी थे, रतनलाल हस्ताक्षर करते थे।

13- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 24 में स्वीकार किया है कि जब रतनलाल मरे, जब वह उन्हीं के यहां आमला में था। यह बात उसके दावे में न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। आगे इस गवाह के प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में व्यक्त किया है कि वह कक्षा पांचवी तक पढ़ा लिखा है वह बेसिक

स्कूल आमला में पढ़ा है बेसिक स्कूल से उसे अंकसूची व टी0सी0 भी मिली थी, वहां पर उसका नाम दर्ज था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि वह पढ़ा लिखा है इसलिए उसे अंकसूची और टी0सी0 मिली है। स्कूल में उसका भी नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह गवाह पढ़ा लिखा है और प्रतिवादी कं 1 के पिता रतनलाल के घर में रह चुका है और इस गवाह की साक्ष्य के अनुसार रतनलाल हस्ताक्षर करता था, उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होता है।

14— प्रतिवादी साक्षी गंगाराम (प्रति0वा0सा01) ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि उसके पिता रेल्वे विभाग आमला में लोके में मुकदम के पद पर कार्यरत होकर रिटायर हुये हैं। साथ ही वादी साक्षी गणेश (वा0सा0-1) के प्रतिपरीक्षा की कंडिका 23 में यह तथ्य लाए है कि उसके नाना रेल्वे में नौकरी करते थे। इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश किए हैं। इस प्रकार स्वयं वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि रतनलाल रेल्वे में नौकरी करता था, तो यह तथ्य विश्वसनीय दर्शित होता है कि वह हस्ताक्षर करता था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि शासन से संबंधित या अर्द्ध शासकीय कर्मचारी भी हो, भले ही वह अनपढ़ हो, किन्तु वह हस्ताक्षर करना आवश्यक रूप से ही जानता है।

15— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 5 के दस्तावेज पेश किया है। उक्त दस्तावेज दिनांक 01/05/1963 का है, जो कि लगभग 43 वर्ष पुराना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 यह उपबंधित करती है जहां कोई दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है वह न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है उस व्यक्ति के हस्तलेख है। निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा समयक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है। इस प्रकार उक्त अधिनियम अनुसार प्र0पी0 5 का दस्तावेज प्रमाणित है। क्योंकि वह 30 वर्ष से अधिक पुराना है जिसमें रतनलाल के हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज अनुसार यह स्पष्ट है कि वादी का नाना एवं प्रतिवादी कं. 1 का पिता रतनलाल हस्ताक्षर करता था।

16— प्रतिवादी साक्षी गंगाराम (प्र0वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 1995 के लगभग गंगाराम को रतनलाल के पुराने सामान एवं कागजातों में रतनलाल में द्वारा गंगाराम के पक्ष में किया गया। वसीयतनामा रखा मिला जिससे

गंगाराम को यह जानकारी लगी कि रतनलाल द्वारा उसकी संपत्ति की वसीयत गंगाराम के पक्ष में गवाहों के समक्ष दिनांक 09/10/1989 को निष्पादित कर दी गई थी तथा इस वसीयत द्वारा गंगाराम की माँ सरस्वतीबाई को भरण पोषण का अधिकार दिया गया था। गंगाराम को रतनलाल के जीवनकाल में वसीयत की जानकारी नहीं थी ना ही रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् तुरंत हुई। इस कारण भूमि पर संशोधन फौती आधार पर हुआ। बाद में जानकारी होने पर भी गंगाराम द्वारा संशोधन द्वारा माता का नाम आने पर इसलिए आपत्ति नहीं की, क्योंकि वसीयतद्वारा रतनलाल ने सरस्वतीबाई को भरण पोषण का अधिकार दिया था तथा सरस्वतीबाई ने देखभाल की जिम्मेदारी गंगाराम को दी थी। वैसे भी गंगाराम तथा माता के मध्य अच्छा सामांजस्य था। रतनलाल द्वारा उसकी भूमि का वसीयतनामा गंगाराम के पक्ष में करने से गंगाराम का भूमि का पूर्ण स्वामी हुआ। वसीयतनामों से यह भी जानकारी लगी कि रतनलाल द्वारा गणेश के आचरण एवं व्यवहार को देखते हुये रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् गणेश गंगाराम को परेशान न करें। इसी संभावना के चलते वसीयतनामा किया गया।

17— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में व्यक्त किया है कि उसके पिता रेल्वे विभाग आमला में लोको में मुकदम के पद पर कार्यरत रहते हुए रिटायर हुये थे। अर्थात् वादी के पिता रतनलाल रेल्वे में नौकरी करते थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता कभी दस्तखत नहीं किया अंगूठा लगाते थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में व्यक्त किया है कि उसने उसके पिता के अंगूठा निशानी का वसीयतनामा देखा है जो उसने पेश किया है उसके अलावा अन्य कोई अंगूठा का कोई कागज नहीं देखा। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि उसके पिता तनखा लेते दस्तखत करते थे, फिर साक्षी ने कहा कि अंगूठा लगाते थे। न्यायालय की ओर से नोट किया गया है कि अंगूठे वाली बात साक्षी जब कहीं उसके ठीक पूर्व पीछे से किसी ने हिंट किया तो अंगूठे वाले बात कही, उक्त तथ्य ही यह स्पष्ट करते हैं कि यह गवाह जान बूझकर अंगूठा लगाने वाली बात कह रहा है जबकि उसके पिता रतनलाल हस्ताक्षर करते थे। यह बात इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से बताई है। उक्त तथ्य को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

18— क्योंकि वादी गंगाराम की ओर से वसीयतनामा प्रस्तुत की गई है जो उसे पेटी में मिलना मुख्यपरीक्षा में बताया है तो सबूत का भार उस पर ही है वह यह प्रमाणित करें कि उसके पिता ने स्वस्थ मतिष्क से उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की है जबकि साक्षी बार-बार कह रहा है कि उसके पिता अंगूठा लगाते थे। आगे यह गवाह प्रतिपरीक्षा में कहता है कि उसके पिता हस्ताक्षर करते थे और न्यायालय की ओर से नोट लगाया गया है जिसमें साक्षी को जब भी कोई हिंट

करता है तो अंगूठे वाली बात बताता है जो कि स्वयं वसीयत ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है क्योंकि कोई भी पिता उसे वसीयत निष्पादित करनी है तो वह अपने पुत्र से वह छुपा नहीं सकता। क्योंकि वादी एक मात्र पुत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति एवं रूढ़ी प्रथा के अनुसार पुत्र को ही सम्पत्ति का एक सामान्य व्यक्ति वारिश मानता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी गंगाराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने की आवश्यकता ही नहीं थी।

19— वादी पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में सुझाव दिया गया जो इस गवाह ने अस्वीकार किया है। प्र0पी0 5 के ए से ए भाग पर उसके पिता रतनलाल के हस्ताक्षर हैं। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसके पिता हस्ताक्षर करते थे। इस तथ्य को छुपाने के लिए वह अंगूठा लगाने वाली बात कह रहा है। प्र0पी0 5 का दस्तावेज स्वयं ही प्रमाणित है वह 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज है। जिसमें रतनलाल के हस्ताक्षर हैं और प्रतिपरीक्षा में दिए गए सुझाव से भी यह स्पष्ट है कि रतनलाल हस्ताक्षर करता था। भले ही इस गवाह ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है।

20— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में व्यक्त किया है कि उसे नहीं मालूम कि वसीयतनामा प्र0डी0 1 में उसके पिता द्वारा सम्पत्ति को पैतृक बताया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में व्यक्त किया है कि उसे मंहगीबाई के पिता का नाम नहीं मालूम। उसने ऐसे कोई कागज नहीं देखा जिसके विवादित जमीन मंहगीबाई के पिता के नाम दर्ज हो। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि मंहगीबाई के मरने के बाद सम्पत्ति रतनलाल छोटेलाल तथा पुत्र लंगड़ी को मिली जो उसकी बुआ लंगड़ी पहले ही मर चुकी है। इसके बाद उसके पिता और छोटेलाल ने बटवारा किया। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि रतनलाल को उसकी मां मंहगीबाई से प्राप्त हुई थी जिसे खानदानी सम्पत्ति नहीं माना जा सकता।

21— आगे इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में प्रश्न किया गया है कि आपने आपकी मुख्य परीक्षा में बताया है कि विवादित सम्पत्ति आपके पिता की निजी सम्पत्ति है तथा विक्रय पत्र आपने किया है उसमें सम्पत्ति को खानदानी लिखा है दोनों में से बात कौन सी सही है तो इस गवाह ने उत्तर नहीं दिया है बल्कि साक्षी मौन रहता है। आगे इस गवाह से फिर प्रश्न किया है कि आपने आपके मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में विवादित सम्पत्ति को पिता की निजी सम्पत्ति बताया है जबकि आपके द्वारा प्रस्तुत डी 1 में रतनलाल द्वारा सम्पत्ति को पैतृक बताया है कौन सी बात सही है तो इस गवाह के उत्तर में उल्लेख है कि साक्षी मौन रहता है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रश्नों से यही स्पष्ट होता है कि यह विवादित सम्पत्ति जिसकी वसीयत निष्पादित की गई है वह रतनलाल की स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं है



और ना ही खानदानी सम्पत्ति है।

22— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में व्यक्त किया है कि गणेश को उसके पिता को इस कारण निकाल दिया था कि वह गाली बकवास करता था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि गणेश को घर से निकाले 5 साल से उसके पिता के साथ रहता था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में व्यक्त किया है कि गणेश को उसके पिता द्वारा घर से निकालने को जो कारण बताया है इसके अलावा कोई कारण नहीं था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि रतनलाल ने गणेश को कई बार पैसा दिया कब-कब दिया, वह नहीं बता सकता। और किस कारण के लिए दिए हैं यह भी नहीं बता सकता। अर्थात् गणेश रतनलाल उसकी पुत्री शांताबाई का लड़का है वह रतनलाल के घर रह चुका है।

23— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उसके पिता लकवे की बिमारी व इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। लकवा उसके पिता को ड्यूटी के समय से ही हो गया था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है जब उसके पिता को लकवा हुआ, तब वह यहां नहीं रहता था बाहर रहता था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता को मरने के कितने समय पूर्व से लकवा था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता के लकवे का इलाज कराने उसके ससुर रामप्रसाद ले गए थे। आगे यह भी व्यक्त किया है कि बैतूल में उन्हें जिससे इलाज कराया है इसकी उसे जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि उसके पिता को लकवे की शिकायत नहीं थी। और यह भी कहना गलत है कि लकवे की उसने झूठी कहानी गढ़ी है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 19 में अस्वीकार किया है कि पिता को लकवे वाली कहानी इसलिए बनाई कि उसके मरने के बाद उसने किसी अन्य व्यक्ति का अंगूठा लगाकर रतनलाल का नाम लिखकर फर्जी वसीयत बनाया है। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि वसीयतनामा लिखने वाले और गवाहों की साजिश से बनाया है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता को लकवा हाथ पैर या शरीर के कौन से हिस्से में था, यह कौन ख्याल रखता है।

24— इस प्रकार प्रतिवादी गंगाराम के द्वारा एवं वादी की ओर से दिये गए सुझाव को इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में अस्वीकार किया है। किन्तु उक्त सुझाव विश्वसनीय प्रतीत होते हैं यदि वास्तविक रूप से रतनलाल को लकवे की बिमारी थी तो आवश्यक रूप से ही इस गवाह को किस वैद्य से इलाज कराया गया और कहां कराया गया उसे आवश्यक रूप से ही मालूम होता। जबकि यह गवाह रतनलाल का पुत्र है और उसे ही लकवा की बिमारी के संबंध में किसी प्रकार का इलाज नहीं कराना बल्कि उसके ससुर रामप्रसाद के द्वारा बैतूल में इलाज कराना बताया है किस वैद्य या किस डॉक्टर से इलाज कराया गया है, वह नहीं बताया है और लकवे

के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उसके पिता के शरीर के किस भाग में लकवा था, वह भी नहीं बताया है। बल्कि गवाह ने कहा है कि यह कौन ख्याल रखता है। जबकि यह गवाह रतनलाल का पुत्र है और एक मात्र पुत्र है और एक मात्र से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने पिता का इलाज ना कराए और अपने पिता के इलाज में उपेक्षा की जाये। बल्कि उक्त तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि रतनलाल को लकवे की बिमारी नहीं थी, बल्कि प्रतिवादी गंगाराम के द्वारा फर्जी तरीके से वसीयतनामा निष्पादित कराई गई है, यही स्पष्ट होता है।

25— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 20 में स्वीकार किया है कि उसके पिता के साथ वह बैतूल नहीं गया था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता के लकवे का इलाज वैद्य के यहां चला था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि इलाज कब से चला था उसे उसकी जानकारी नहीं है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता को उसके ससुर रामप्रसाद और सूरतलाल इलाज के लिए ले गए थे। आगे यह भी व्यक्त किया है कि रामप्रसाद और सूरतलाल दोनों उसके ससुर हैं। आगे यह भी व्यक्त किया है यह दोनों पिता को बैतूल लाने के बाद आठ चार दिन में उसके घर आते-जाते रहते थे। उसकी उन से बातचीत होती थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उन दोनों ने उसे बताया था कि उसके पिता के इलाज करवाया है और आपके पिता ने कागज बना दिया है और वह कागज यही वसीयतनामा जो प्र0पी0 1 है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसने वह कागज बाजू वाले रामचरण काका से पढ़कर सुना था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उस कागज को उसने मोड़ कर लिफाफे में नहीं रखा था। सीधा-सीधा पेटी के अंदर रखा था जिसमें पिताजी के और भी कागज थे। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि उसे पेटी में कागज मिला था।

26— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके दोनों ससुर और काकाजी जिसका नाम उपर बताया है इसके अलावा किसी अन्य को प्र0पी0 1 के बारे में नहीं बताया। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि यदि वास्तविक रूप से उसके पिता को लकवे की बिमारी होती तो वह उसे इलाज कराने अवश्य ही लेकर जाता है और उसकी देख-रेख स्वयं करता। साथ ही वसीयत के संबंध में उसके पिता के द्वारा प्र0पी0 1 निष्पादित करना बताया है और उसे पेटी में मिलना बताया है उक्त तथ्य विश्वसनीय दर्शित नहीं होते हैं क्योंकि ऐसी वसीयत जो कि पिता के द्वारा उसके पुत्र को विवादित सम्पत्ति की वसीयत के संबंध में कोई जानकारी ना हो, यह संभव नहीं है। इस गवाह ने जो प्रतिपरीक्षा में रामप्रसाद और सूरतलाल के द्वारा इलाज कराना बताया है उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। साथ ही इस गवाह के रामप्रसाद और सूरतलाल हितबद्ध साक्षी हैं और यह स्वभाविक परिस्थिति है कि वह अपने दामाद के पक्ष में

कोई भी सम्पत्ति प्राप्त हो वह मिले यह चाहेंगे ही, किन्तु न्यायालय को यह देखना अति आवश्यक है कि जो वसीयत निष्पादित की गई है वह रतनलाल के द्वारा निष्पादित की गई। जबकि रतनलाल के द्वारा अंगूठा लगाकर जो वसीयत निष्पादित की गई है, वह विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि रतनलाल हस्ताक्षर करता था, यह स्पष्ट हो चुका है और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि उसे लकवा की बिमारी भी नहीं हुई थी।

27— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 21 में व्यक्त किया है कि उसके पिता ने प्र0पी0 1 के कागज बनाने के पहले उससे यह कभी नहीं बोला कि वह उसकी जायदाद के बारे में क्या कहना चाहता है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता ने आमला में किसी को उसकी जायदाद के बारे में कुछ बताया भी होगा तो उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 का वसीयतनामा आमला में सतीश बाबू का यहां टाईप हुआ। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे यह नहीं बता है कि सतीश का बाई नितीन है और उसे यह भी नहीं पता कि वह दोनों वकील भी है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने जमीन बिक्री का बैनामा नितिन वकील साहब से रजिस्ट्री करवाई थी। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि रतनलाल को गंगाराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित करना होता तो वह अपने पुत्र से वसीयत के संबंध में या विवादित भूमि के संबंध में अवश्य चर्चा करता। बल्कि इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य लाए हैं उक्त तथ्यों से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वसीयतनामा सतीश बाबू के द्वारा टाईप की गई और उसके भाई नितिन जो वकील हैं फर्जी वसीयत के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

28— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 में सूरतलाल ने अंगूठा निशानी के नीचे उसके पिता का नाम उसकी हस्तलिपि में लिखा है। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि प्रथम पृष्ठ पर उसके पिता का नाम निशानी अंगूठा के नीचे सूरतलाल के द्वारा ही लिखा गया है। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 1 के दोनों पन्नों पर उसके पिता के नाम के अंगूठे उसके ससुर सूरतलाल ने उसे फायदा मिल जाने के लिए फर्जी बनाए हैं। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में भले ही इस गवाह ने वादी पक्ष की ओर दिए गए सुझाव को इंकार किया है, किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता जो कि गंगाराम का ससुर है अपने दामाद को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी वसीयत बनाया है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्र0पी0 1 की वसीयत में जो अंगूठा निशान लगा है वह सूरतलाल की हस्तलिपि में लिखा गया है और सूरतलाल के द्वारा ही निशानी अंगूठा के नीचे प्रतिवादी

गंगाराम के पिता का नाम रतनलाल लिखा गया है। और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने दामाद को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से सूरतलाल के द्वारा फर्जी वसीयत का निष्पादन किया गया है।

29— प्रतिवादी साक्षी रामप्रसाद (प्र0वा0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वर्ष 1989 में रतनलाल को लकवा मार दिया था जिससे हाथ और पैर बेकार हो गये थे। वह उसे देखने गया था उस समय रतनलाल का इलाज बैतूल बाजार के वैद्य द्वारा किया जा रहा था। रतनलाल ने कहा था कि उसे वैद्य को दिखाना है दवाईयां भी लेना है उसका लड़का गंगाराम बाहार गया है तब उसके बाद बैतूल बाजार तक चले उस समय सूरतलाल भी साथ था वह था सूरतलाल के साथ बैतूल बाजार तक आने को तैयार हो गये उसी रतनलाल ने यह भी कहा कि उसकी सम्पत्ति का वसीयतनामा उसके पुत्र गंगाराम के नाम करना चाहता है क्योंकि शांताबाई का पुत्र गणेश अनावश्यक रूप से उसे परेशान करता है उसे डर है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र गंगाराम जो कि बहुत सीधा-साधा और अनपढ़ है, को भी परेशान करेगा, रतनलाल ने कहा था कि बैतूल बाजार से ही बैतूल चलेगें और वसीयतनामा लिखवा लेगें। रतनलाल ने उसकी बही भी साथ में रख ली थी।

30— आगे गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह तथा सूरतलाल एवं रतनलाल बैतूल बाजार आए वहां वैद्य को दिखाकर दवा ली और फिर बैतूल कचेरी आ गये, जहां रतनलाल के बताये अनुसार वसीयतनामा तैयार कर टाईप किया गया जिसे टाईप करने वाले ने रतनलाल को पढ़कर सुनाया, फिर वह एवं सूरतलाल के सामने रतनलाल ने अंगूठा लगाया, फिर उन्होंने गवाही में हस्ताक्षर किए टाईप करने वाले वह तथा अन्य गवाहों का नाम पूछकर टाईप किया था, फिर सभी लोग वापस आमला आ गये थे। उस समय रतनलाल सहारे से चलता था उसकी दिमागी हालत ठीक थी वह अच्छे से बोलता चालता था। आगे गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि प्र0डी0 1 का दस्तावेज दिखाए जाने पर उक्त दस्तोवज के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है उसके सामने सूरतलाल ने भी हस्ताक्षर किए और रतनलाल ने अंगूठा निशानी लगाई थी।

31— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में व्यक्त किया है कि सूरतलाल उसका काका है। गंगाराम उसका बहन जवाई है। इस प्रकार यह गवाह भी हितबद्ध साक्षी है। उसकी बहन को गंगाराम के साथ विवाह किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में व्यक्त किया है कि उसने प्र0डी0 1 के दस्तावेजों के अलावा रतनलाल को कहीं भी किसी भी कागज पर हस्ताक्षर या अंगूठा करते नहीं देखा। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि अस्पताल के कार्ड पर रतनलाल का अंगूठा लगा देखा था। वह कार्ड कब बना था उसे पता नहीं। वह कार्ड बनते समय उपस्थित नहीं था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उक्त कार्ड

को रतनलाल ने उसके समक्ष अंगूठा नहीं लगाया था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि रतनलाल अंगूठा ही लगता था। क्योंकि इस गवाह के द्वारा वसीयत के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं देखा है और जिस दस्तावेज को देखना बताया है वह दस्तावेज पर रतनलाल ने अंगूठा नहीं लगाया है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि रतनलाल अंगूठा ही लगता था।

32— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि रतनलाल धर्मिक होकर पूजा पाठ करते थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि वह घर में रामायण पोथी पढ़ते थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि रतनलाल कब सेवा निवृत्त हुये उसे नहीं मालूम। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्य से यह इंकार नहीं किया जा सकता कि रतनलाल रामायण भी पढ़ लेता था और पूजा पाठ भी करता था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में व्यक्त किया है कि गणेश ने रतनलाल के यहां रहते में उसकी मामी के बर्तन बेचे थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि गणेश ने बर्तन 1985-86 में बेचे थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि गणेश ने गुंडी बाल्टी, घड़ी और चिल्लर बर्तन बेचे थे बर्तन किसको बेचे थे, उसे नहीं मालूम। जिसकी रिपोर्ट की थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि रतनलाल ने गणेश को सन् 1987 के आस-पास घर से निकाल दिया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि रतनलाल के मरते तक गणेश रतनलाल के साथ रहा। जबकि स्वयं प्रतिवादी गंगाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में व्यक्त किया है कि गणेश को उसके पिता ने इस कारण निकाल दिया था। क्योंकि वह गाली बकवास करता था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में व्यक्त किया है गणेश को उसके पिता ने घर निकालने का जो कारण बताया है उसके अलावा कोई कारण नहीं था। इस प्रकार प्रतिवादी साक्षी एवं इस साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षा में बताए गए तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि गणेश को चोरी करने के कारण नहीं निकाला गया और ना ही गाली गलौच के कारण निकाला गया, बल्कि वह रतनलाल की मृत्यु तक उसके घर में रहा। क्योंकि प्रतिपरीक्षा में उक्त दोनों साक्षियों के कथन विरोधाभासी है जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

33— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में व्यक्त किया है कि रतनलाल को 1986 के करीब लकवा हो गया था। रतनलाल को बाएं भाग में लकवा था। आगे इस गवाह ने बताया है कि साक्षी ने उसका दाहिना हाथ और दाहिने पैर को इंकित कर बताया कि बांये अंग में लकवा था। आगे इस गवाह ने बताया कि वह दांया बायां समझता है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि वह कक्षा दसवी तक पढ़ा है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि रतनलाल का जहां-जहां इलाज चला है, वह जानता है। आगे इस गवाह ने बताया है कि बैतूल बाजार में किस वैद्य

से इलाज हुआ था, वह नहीं जानता है। उसने रतनलाल के इलाज का कागज वगैरह नहीं देखे थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि बैतूल बाजार के अलावा उसका और कहीं इलाज नहीं हुआ। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि रतनलाल इलाज करने दो-एक बार गया। आगे इस गवाह ने बताया है कि वह कब गया था वह महीना तारिख नहीं बता सकता, एक बार गया था जब लकवा लगा था। दोबारा वर्ष 1989 में गये थे माह तारिख नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने बताया है कि उसे याद नहीं है कि उस समय रक्षाबंधन हो गया था या नहीं। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में व्यक्त किया है कि उसे याद नहीं है कि दशहरा हो गया था या होने को था, फिर साक्षी ने स्वतः कहा कि दसवे महीने की बात है।

34— इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह तथ्य विश्वसनीय नहीं होता है कि रतनलाल को लकवा हो गया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में रतनलाल को बांये अंग पर लकवा होना बताया है जबकि इस गवाह ने मुख्यपरीक्षा में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वर्ष 1989 में रतनलाल को लकवा मार दिया था उसे दाहिने हाथ तथा पैर बेकार हो गये थे। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से बाएं अंग या दांये अंग में लकवा मारा, यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि यह गवाह मुख्यपरीक्षा में दाहिने हाथ तथा पैर बेकार होना बताता है तथा प्रतिपरीक्षा में बाएं अंग में लकवा होना बताता है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं है कि उसे किस अंग पर लकवा था। अर्थात् यह गवाह असत्य कथन कर रहा है बल्कि रतनलाल को लकवे की बिमारी नहीं थी, यदि रतनलाल लकवे की बिमारी ग्रस्त होता तो यह गवाह प्रतिपरीक्षा में वर्ष 1988 के करीब लकवा होना नहीं बताता। क्योंकि इस गवाह ने वर्ष 1989 में लकवा होना बताया है। साथ ही इस गवाह ने किस वैद्य के यहां इलाज कराया है, उस वैद्य का नाम नहीं बताया है। किस तारिख को इलाज कराया गया है वह भी नहीं बताया गया रक्षाबंधन के समय या दशहरा के समय इलाज कराया गया है वह भी नहीं बताया है और इलाज से संबंधित दस्तावेज भी इस गवाह ने नहीं देखे हैं।

35— जबकि यह गवाह दसवी तक पढ़ा है शिक्षित व्यक्ति है। इस गवाह से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिस वैद्य के यहां इलाज कराया गया उसका नाम नहीं मालूम किस तारिख को इलाज कराये वह भी नहीं मालूम। रक्षाबंधन में ले गए थे या दशहरा के बाद वह भी नहीं मालूम। बल्कि यहीं माना जायेगा कि प्रतिवादी कं 1 के पिता रतनलाल को किसी प्रकार की बिमारी नहीं थी वह हस्ताक्षर करने में सक्षम था।

36— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में व्यक्त किया है कि

रतनलाल ने उनको घर पर ही बोला था कि गंगाराम के नाम वसीयत करना है रतनलाल उसकी बही साथ में लेकर गये थे। आगे यह भी व्यक्त किया है कि बैतूल बाजार से वे बैतूल कचेरी गये अर्जीनवीस के पास गये थे उसका नाम उन्हें मालूम नहीं। उसके पास वे 12 बजे पहुँचे थे। अर्जीनवीस को रतनलाल ने ऋण पुस्तिका दी थी। वसीयतनामा लिखना है जैसे-जैसे रतनलाल ने बताया वैसे-वैसे अर्जी नवीस ने लिख दिया, लिखने के बाद अंगूठा दस्तखत हुये। आगे इस गवाह ने बताया है कि अर्जी नवीस ने रजिस्ट्री कराने का नहीं बोला। आगे यह भी बताया है कि वसीयतनामा लिखने के बाद अर्जीनवीस ने पढ़कर बताया था वसीयतनामों में ऐसा लिखा था कि पढ़कर सुनाया जैसा बोला वैसा लिखा। आगे इस गवाह ने बताया है कि अर्जीनवीस ने उसके हस्ताक्षर "ब" कॉलम में नहीं किए थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में व्यक्त किया है कि वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता कि अर्जीनवीस ने "ब" कॉलम में उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे वसीयतनामों के दोनों पृष्ठों पर निशानी अंगूठे अर्जीनवीस ने लगाए थे, परंतु अर्जीनवीस के सूक्ष्म हस्ताक्षर नहीं हैं। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 में यह नहीं लिखा है पढ़कर सुनाया सही होना पाया जैसा बोला वैसे शब्द नहीं लिखे हैं।

37— इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि बैतूल बाजार से वैद्य को दिखाकर अर्जीनवीस के पास बैतूल कचेरी गए और वहां पर वसीयत लिखी गई और अर्जीनवीस ने पढ़कर सुनाया, किन्तु उक्त तथ्य प्र0डी0 1 में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उसके द्वारा पढ़कर प्र0डी0 1 की वसीयत सुनाई गई और रतनलाल के द्वारा जो वसीयत निष्पादित की गई उस अर्जीनवीस के सूक्ष्म हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार प्र0डी0 1 की वसीयत ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में यह अस्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 कागज उसने और सूरतलाल ने मिलकर झूठा बनाया है। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 के दोनों पृष्ठों पर अंगूठा निशान पर जो निशानी अंगूठा रतनलाल जो लिखा है वह सूरतलाल के द्वारा लिखा हुआ है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके हस्ताक्षर के नीचे ऐसा प्रमाणित नहीं कि रतनलाल ने उसके समक्ष अंगूठा लगाया। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उनके सामने अंगूठा लगाया।

38— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में यह स्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 में दस्तावेज बैतूल में लिखने का शब्द बैतूल नहीं लिखा। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0डी0 1 में ऋण पुस्तिका का नम्बर नहीं लिखा है। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि अर्जीनवीस ने वसीयत लिखवाने के लिए स्टाम्प लाने के लिए नहीं कहा था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि

वसीयतनामा टाईप करने के पहले कच्चा प्रारूप बनाया गया था उस पर टाईप किया गया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में व्यक्त किया है कि बैतूल से आने के दो तीन माह बाद गंगाराम से मुलाकात हुई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने उसे वसीयतनामों के बारे में नहीं बताया। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने सोचा कि उसे उसके पिताजी ने बता दिया होगा। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि वसीयत के चार महीने बाद रतनलाल मर गये थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि जिनकी दस एवं तैरह की क्रिया में वह और काका गये थे गणेश नहीं आया आया था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि पांच साल बाद उसने गंगाराम को वसीयत के बारे में बताया था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने गंगाराम की माँ के मरने के बाद गंगाराम के मरने के बाद संशोधन में दस्तखत नहीं किए थे।

39— इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों में यह स्पष्ट होता है कि वसीयतनामा नहीं लिखी गई। बल्कि फर्जी वसीयत बनाई गई है। क्योंकि प्र0डी0 1 के दोनों पृष्ठों पर अंगूठा निशान पर जो निशानी अंगूठा रतनलाल लिखा है वह सूरतलाल के द्वारा लिखा गया है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस गवाह के समक्ष यह भी नहीं लिखा गया है कि इस गवाह के समक्ष रतनलाल ने अंगूठा लगाया है वसीयत कहां लिखाई गई वह भी नहीं लिखा है जो ऋण पुस्तिका साथ में लेकर गया था तो वसीयत प्र0डी0 1 पर उसका कं. भी नहीं लिखा है।

40— प्रतिवादी ने अपने समर्थन में प्र0डी0 1 की वसीयत प्रस्तुत की है जिसमें रतनलाल का अंगूठा प्रथम पेज एवं द्वितीय पेज में वसीयतकर्ता के रूप में अंगूठा निशान लगा, जबकि वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि स्व0 रतनलाल हस्ताक्षर करता था। साथ ही वसीयत के साक्षी रामप्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा की कंडिका 3 में बताया है कि दांहिने हाथ तथा पैर बेकार हो गए थे अर्थात् दांहिने हाथ तथा पैर में लकवा माना जायेगा, किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि साक्षी ने अपना दांहिना हाथ और दांहिने पैर को इंगित कर बताया है कि बांये अंग में लकवा था। आगे यह भी व्यक्त किया है कि वह दांये बाएं समझता है वह कक्षा दसवी तक पढ़ा है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा एवं मुख्यपरीक्षा के तथ्यों के यह स्पष्ट नहीं है कि उसे बाएं अंग में या दाएं अंग में बाईं और या दांयी ओर लकवा था। बल्कि मुख्य परीक्षा में वसीयत के साक्षी ने यह भी बताया है कि रतनलाल सहारे से चल फिर सकता था उसकी दिमागी हालत ठीक थी तथा अच्छे से बोलता चालता था। अर्थात् रतनलाल स्वस्थ व्यक्ति था और साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वह रेल्वे में नौकरी करता था और प्र0पी0 5 के दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि वह हस्ताक्षर करता था तो ऐसी परिस्थिति में हस्ताक्षर



वसीयत पर क्यों नहीं किया, ऐसा कोई कारण प्र0डी0 1 पर उल्लेख नहीं है। जिससे प्र0डी0 1 की वसीयत ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है बल्कि यही माना जायेगा कि प्रतिवादी एवं उसके ससुर सूरतलाल के द्वारा वादी से सम्पत्ति अकेले हड़पने के उद्देश्य से फर्जी वसीयत रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् बनाई गई है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा-63 'ग' के अनुसार साबित नहीं की गई।

41— प्रतिवादी ने अपनी लिखित तर्क में बताया है कि अतिरिक्त वाद प्रश्न क्या दिनांक 09.10.89 को प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित किया गया है—अब यह देखा जाना है कि क्या रतनलाल द्वारा उसके जीवनकाल में विवादित भूमि के संबंध में स्वेच्छता में वसीयतनामा प्रदर्श डी 1 निष्पादित किया था। जहां तक रतनलाल को वसीयतनामा करने का अधिकार था या नहीं, इस संबंध में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि रतनलाल की पैतृक संपत्ति नहीं थी बल्कि उसे उसका माँ मंहगीबाई से प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि रतनलाल की निजी अथवा स्व0 अर्जित भूमि थी जैसा कि प्रतिवादी सिद्ध करने में सफल रहा है ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से रतनलाल को अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति को वसीयत करने अधिकार प्राप्त था।

42— प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श डी 1 को सिद्ध करने हेतु अनुप्रमाणक साक्षी के रूप में साक्षी रामप्रसाद के कथन कराये हैं। जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन करते हुए रतनलाल द्वारा किन परिस्थितियों में वसीयतनामों का निष्पादन किया तथा किस संपत्ति का वसीयतनामा किया और क्यों किया इस बाबत स्पष्ट अभिवचन किये हैं। वादी की ओर से वसीयतनामों के निष्पादन को रतनलाल की अधिकारिता, रतनलाल के द्वारा किये गये अंगूठे को इस आधार पर चुनौती दी है कि रतनलाल हस्ताक्षर करता था। इस संबंध में वादी एवं वादी साक्षियों द्वारा रतनलाल को पढ़ा लिखा होना तो बताया है, परन्तु उसके पढ़े लिखे होने तथा हस्ताक्षर करने के संबंध में दी गई चुनौती को वे प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। यह भी कहा गया कि उक्त दस्तावेज रतनलाल की मृत्यु पश्चात् फर्जी रूप से तैयार किया गया है। तथा इन्ही बिन्दुओं पर प्रतिवादी साक्षियों का प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। जहां तक अधिकारिता का सवाल है उस पर स्पष्ट किया जा चुका है कि विवादित संपत्ति पैतृक न होकर स्व अर्जित होने से रतनलाल का वसीयत करने की अधिकारिता थी, हालांकि इस संबंध में वादी की ओर से प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया है कि वसीयतनामा प्रदर्श डी 1 में सम्पत्ति को पैतृक बताया है। जब वसीयतनामों से पैतृक शब्द नहीं लिखा है। मात्र त्रिकअंकित हुआ है, जिसका अर्थ मात्रिक है, तर्क के लिये यदि वह मान भी लिया जावे कि वसीयतनामा अथवा विक्रय पत्र में संपत्ति को पैतृक लिखा है, तो भी उससे संपत्ति के मूल

स्वरूप पर जो कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत डी 2 डी 3 के दस्तावेजों से स्पष्ट है, भूमि रतनलाल की पैतृक संपत्ति नहीं थी पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। जहां तक रतनलाल द्वारा अंगूठा न लगाते हुए हस्ताक्षर किये जाना जानने का प्रश्न है। प्रतिवादी की ओर से अपने लिखित कथन में यह अभिवचनित किया है कि रतनलाल पढ़ा लिखा नहीं था, हस्ताक्षर करना नहीं जानता था, अंगूठा लगाता था, तथा साक्षी रामप्रसाद ने भी स्पष्ट कथन किया है कि रतनलाल ने उसके समक्ष प्र0डी0 1 के दस्तावेज पर स्वयं का अंगूठा लगाया था, वादी की ओर से यह बताये जाने के लिये कि रतनलाल हस्ताक्षर करना जानता था। प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रदर्श पी 5 का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की ओर से प्रतिवादी गंगाराम के प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। जिसे विधिवत् अभिलेख पर नहीं लिये जाने से उसकी ग्राह्यता पर प्रतिवादी की ओर से आपत्ति किये जाने पर प्रश्न पूछे जाने पर आपत्ति की गई जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्व में आपत्ति को सुरक्षित रखते हुये दस्तावेज का प्रदर्श चिन्हित कर प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी गई तथा दस्तावेज की ग्राह्यता पर विचार अंतिम तर्क के समय किये गये जाने का निर्देश दिये थे।

43— इस संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में दिनांक 01/05/1963 का कागज प्र0पी0 5 सांठ-गांठ कर बाद में झूठा एवं फर्जी बनाया जाने के संबंध में स्पष्ट अभिवचन किये हैं, प्रतिवादीगण की ओर से तर्क है कि पी 5 का कथित दस्तावेज “इकरारनामा” के संबंध वादी ने अपने संपूर्ण न्यायालयीन कथन में एक शब्द भी नहीं कहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। वादी गणेश की ओर से उक्त दस्तावेज ना तो वाद पत्र के साथ आदेश 7-14(3) व्य0प्र0सं0 के तहत पेश किये गये उक्त दस्तावेज प्रतिवादी गंगाराम के प्रतिपरीक्षण के दौरान पेश किया गया है। जबकि उक्त दस्तावेज ना तो साक्षी द्वारा निष्पादित किया ना ही उसकी उपस्थिति में निष्पादित किया है। ऐसी स्थिति में भी उक्त दस्तावेज ना तो अभिलेख पर लिये जाने योग्य है, ना ही साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है तर्क के लिये यदि उक्त दस्तावेज भी उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज को ना तो उसके निष्पादनकर्ता ना लेखक ना ही किसी अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा सिद्ध किया गया है। जबकि निष्पादनकर्ता स्वयं वादी का पिता गिरधारी उर्फ जयधारी होकर जीवित है। स्वयं वादी द्वारा अपने न्यायालय कथनों में उक्त दस्तावेजों के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज प्रदर्शित होने के बावजूद साक्ष्य से ग्राह्य नहीं है। प्रदर्श पी 5 का दस्तावेज कब, कहां, कैसे, किसको प्राप्त हुआ इसका भी कोई स्पष्टीकरण वादी द्वारा अपने दावे में न्यायालयीन कथन में नहीं किया है, स्पष्ट है कि प्रदर्श पी

5 का दस्तावेज पश्चात्पूर्वी क्रम में झूठा एवं फर्जी बनाकर प्रस्तुत किया है।

44— वादी की ओर से उक्त दस्तावेज को इस सुझाव के साथ पेश किया है कि उक्त दस्तावेज पर रतनलाल के हस्ताक्षर हैं तथा रतनलाल हस्ताक्षर करना जानता था, प्रतिवादी द्वारा उक्त सुझाव को अस्वीकार किया गया है, वैसे ही प्रदर्श पी 5 पर कथित रतनलाल के हस्ताक्षर गवाह के रूप में दर्शित हैं, परंतु उक्त हस्ताक्षर प्रतिवादी के पिता रतनलाल वल्द रामू द्वारा ही किये गये या कोई अन्य रतनलाल है। जिसके समक्ष किये गये ऐसी कोई साक्ष्य या सुझाव वादी की ओर से नहीं दी गई है। जिससे कि यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो कि कथित हस्ताक्षर रतनलाल वल्द रामू के ही हैं। ऐसी स्थिति में वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि रतनलाल वल्द रामू हस्ताक्षर करना जानता था। उपरोक्त लिखित तर्क का लाभ प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि प्र0पी0 5 के दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि स्व0 रतनलाल हस्ताक्षर करता था। साथ ही उपरोक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि दिनांक 09/10/1989 को प्रतिवादी क्रं. 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित नहीं की गई है बल्कि प्रतिवादी क्रं0 1 पिता रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् वसीयत बनवाई गई है, जो कि फर्जी है।

45— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि दिनांक 09/10/1989 को प्रतिवादी 1 के पक्ष में स्व0 रतनलाल के द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई। बल्कि प्रतिवादी के द्वारा रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् फर्जी वसीयत बनाई गई है। इस प्रकार विचारणीय अति प्रश्न क्रं. 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **अतिरिक्त विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण**

46— वादी साक्षी गणेश (वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गंगाराम पिता रतनलाल भोयर उसका मामा है। उसकी माँ शान्ताबाई पत्नी जयधारी उर्फ गिरधारी भोयर रतनलाल एवं सरस्वीबाई निवासी आमला की पुत्री थी। जिसकी मृत्यु आज से 30 वर्ष पहले आमला में हुयी थी। उसके मामा रतनलाल पिता रामू भोयर ने उसकी माँ की शादी की। उसके पिता को घर दामाद लाया था तब से वह आमला में ही रहते थे तथा रतनलाल की आमला स्थित भूमि पर काश्तकारी करते थे। उसके मामा रतनलाल की कृषि जमीन ग्राम आमला, तहसील आमला में है जिसका खसरा नं. 166/1 एवं खसरा नं. 707/1 रकबा 0.008 एवं 0.980 हे0 अर्थात् सवा दो ढाई एकड के लगभग है।

47— वादी साक्षी परसू (वा0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि गणेश पिता गिरधारी भोयर एवं उसके मामा गंगाराम पिता रतनलाल भोयर को तथा रतनलाल भोयर आमला को अच्छे से पहचानता है। क्योंकि रतनलाल का मकान

उसके मकान के पास है और रतनलाल का आमला स्थित ढाई एकड़ खेत उसके खेत के पास है। उसी प्रकार वादी साक्षी राजू (वा0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रतनलाल पिता रामू भोयर आमला की पुत्री शांतीबाई का पुत्र गणेश है तथा गंगाराम उसका मामा है उसने रतनलाल की आमला स्थित जमीन भी देखी जिस पर गणेश पिता गिरधारी काबिज होकर काश्तकारी करते हैं।

48— प्रतिवादी साक्षी गंगाराम (प्र0वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पिता रतनलाल की मृत्यु दिनांक 21/01/90 को गई शपथकर्ता की माँ सरस्वती की मृत्यु पिता के मृत्यु के पश्चात् हो गई। रतनलाल के पिता रामू मूल पुरुष थे वह कनौजिया के रहने वाले थे रामू के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी रामू उसके ससुराल में घर जवाईं थे रतनलाल की माँ का नाम मंहगीबाई था। मंहगीबाई को उसके मायके से खसरा नं. 166, 170 तथा 707 की कुल भूमि 5.43 एकड़ प्राप्त हुई थी। मंहगीबाई की मृत्यु के पश्चात् उसकी भूमि उसके पुत्र रतनलाल छोटेलाल एवं पुत्री लंगड़ी को प्राप्त हुई थी जिसके आपसी बटवारे होने के पश्चात् विवादित भूमि रतनलाल को प्राप्त हुई विवादित भूमि रतनलाल की पैतृक भूमि न होकर उसकी निजी सम्पत्ति थी।

49— इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में व्यक्त किया है कि उसे मंहगीबाई के पिता का नाम नहीं मालूम। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसने ऐसा कोई कागज नहीं देखा जिसमें मंहगीबाई के पिता का नाम दर्ज हो। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मंहगीबाई के मरने के बाद सम्पत्ति छोटेलाल रतनलाल एवं उसकी पुत्री लंगड़ी को मिली। आगे इस गवाह ने बताया है कि उसकी बुआ लंगड़ी पहले ही मर चुकी थी उसके पिता और छोटेलाल ने बटवारा किया। आगे यह भी व्यक्त किया है कि दोनों भाईयों को कौन-कौन से खसरा नं. की जमीन मिली, यह नहीं बता सकता। उसके पिता को दो एकड़ जमीन मिली। आगे इस गवाह से प्रश्न किया है कि आपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि विवादित संपत्ति उसके पिता की निजी सम्पत्ति है तथा विक्रय पत्र जो आपने दिया है उसकी सम्पत्ति को खानदानी लिखा है, दोनों में कौन सी बात सही है तो इस गवाह ने उत्तर नहीं दिया है बल्कि मौन है। आगे इस गवाह से फिर प्रश्न किया गया है कि आपने मुख्यपरीक्षा शपथ पत्र में विवादित सम्पत्ति को पिता की निजी सम्पत्ति बताया है जबकि आपके द्वारा प्रस्तुत प्र0डी0 1 में रतनलाल द्वारा सम्पत्ति को पैतृक बताया है तो कौन सी बात सही है तो यह गवाह उत्तर में मौन रहता है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में पूछे गये प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित भूमि खानदानी थी या उसके पिता रतनलाल की निजी सम्पत्ति थी।

50— इस प्रकार वादी साक्षी गणेश (वा0सा01) एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्षी परसू (वा0सा02), राजू (वा0सा03) तथा प्रतिवादी साक्षी गंगाराम (प्र0वा0सा01)

की साक्ष्य से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्व0 रतनलाल की थी।

51— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी02 का खसरा पांचसाला जिसमें खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980, कब्जेदार के रूप में गंगाराम वल्द रतनलाल के नाम का उल्लेख है। प्र0पी0 3 की दस्तावेज नक्शा प्रस्तुत है। प्र0पी0 4 खसरा वर्ष 2007-08 का प्रस्तुत है जिसमें प्रतिवादी गंगाराम का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में प्र0डी0 2 का नगरी तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख प्रस्तुत किया है जिसमें पुराना खसरा नं. 166 नया खसरा नं. 103 रकबा 0.04/0.016 पुराना खसरा नं. 170 नया खसरा नं. 105/2 रकबा 0.02/0.008 पुराना खसरा नं. 707 नया खसरा नं. 441 रकबा 5.37/2.173 कुल रकबा 5.43/2.19 = 6.75 पुराना खसरा नं. 624 नया खसरा नं. 258/1 रकबा 2.70/1.093 = 3.28 मंहगीबाई बेवा रामू भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्र0डी0 3 संशोधन पंजी वर्ष 1977 खसरा नं. 166 रकबा 0.716 खसरा नं. 170 रकबा 0.008 खसरा नं. 707 रकबा 2.173 कुल रकबा 2.117 उक्त भूमि रतन वल्द रामू छोटेलाल वल्द रामू का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। विरासतन हक में मंहगीबाई पति रामू की मृत्यु 1977 में होने के कारण उल्लेख है। उसी प्रकार प्र0डी0 4 खसरा पांचसाला 1949-50 में खसरा नं. 103 रकबा 0.04 खसरा नं. 105/1 रकबा 0.67 खसरा नं. 105/2 रकबा 0.02 खसरा नं. 441 रकबा 5.37 भूमि मंहगी जौजे रामू का नाम कब्जेदार एवं मालिक के नाम से उल्लेख है। इस प्रकार प्र0डी0 2, प्र0डी0 3, प्र0डी0 4 से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 तथा खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 हे0 भूमि स्व0 रतनलाल को उसकी माँ से विरासतन हक में बटवारे के पश्चात् प्राप्त हुई है। अर्थात् विवादित भूमि स्व0 रतनलाल को उसकी माँ से प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि स्व अर्जित भूमि माना जायेगा।

52— विवादित भूमि स्व अर्जित भूमि हो या खानदानी भूमि हो विवादित भूमि खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 हे0 भूमि स्व0 रतनलाल की भूमि है। वादी के वाद पत्र एवं जवाबदावे से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्व0 रतनलाल की भूमि है। वादी के वाद पत्र एवं उसके शपथ पत्र के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसकी माँ शांताबाई स्व0 रतनलाल की पुत्री है तथा गंगाराम उसका पुत्र है, क्योंकि साथ ही प्रतिवादी साक्षी गंगाराम (प्र0वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि गणेश की माँ शांताबाई रतनलाल की पुत्री थी। आगे यह भी व्यक्त किया है कि रतनलाल और वे सब हिन्दू धर्म मानते हैं। उसी प्रकार जवाबदावे की विशेष कथन की कंडिका 13 में व्यक्त किया कि रतनलाल की पुत्री शांताबाई वादी कुछ समय तक रतनलाल के घर रहा। इस प्रकार प्रकरण में यह निर्विवादित है कि स्व0 रतनलाल की पुत्री शांताबाई है एवं उसका पुत्र गणेश है और रतनलाल का पुत्र गंगाराम है।

53— इस प्रकार वादी के वाद पत्र एवं वादी साक्षी गणेश एवं प्रतिवादी साक्षी गंगाराम की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्व0 रतनलाल की है और उसके एक पुत्र एवं पुत्री है और अतिरिक्त विचारणीय प्रश्न क्रं. 2 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वसीयत दिनांक 09/10/1989 स्व0 रतनलाल के द्वारा निष्पादित नहीं की गई है, बल्कि स्व0 रतनलाल की मृत्यु के पश्चात् फर्जी वसीयत निष्पादित की गई है और उस वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रं 1 को विवादित भूमि का पूर्ण स्वत्वधारी नहीं माना जा सकता।

54— क्योंकि वादी साक्षी गणेश (वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मृतक शांताबाई का पुत्र होकर रतनलाल एवं सरस्वतीबाई की उपरोक्त कृषि जमीन में मामा गंगाराम के साथ बराबरी का हकदार है। क्योंकि वह रतनलाल एवं सरस्वतीबाई का उत्तराधिकारी है तथा कंडिका एक में वर्णित कृषि जमीन पर वह काबिज है और इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में बताया है कि विवादित जमीन पर 2-3 वर्ष तक काश्तकार रहा, वह बोरी से आना-जाना करके काश्त करता है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि विवादित जमीन पर सोयाबिन और गेंहू बोता था। आगे यह भी बताया है कि जमीन में कुंआ नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि वह गेंहू की सिंचाई नहीं करता है उपर वर्षा के भरोसे बोता था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट है कि विवादित जमीन पर इस गवाह के द्वारा काश्तकारी की गई है। अर्थात् वह कब्जे में रहा है।

55— वादी साक्षी परसू (वा0सा02) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि गणेश पिता गिरधारी रतनलाल की पुत्री शांताबाई का पुत्र है तथा गंगाराम का भांजा है। गणेश एवं उसके माता पिता रतनलाल के पास ही आमला में रहते थे तथा आमला स्थित रतनलाल की कृषि जमीन पर काश्त करते थे। उसी प्रकार इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में व्यक्त किया है कि विवादित जमीन उसने देखी है उक्त भूमि पर खेती होती है। उक्त भूमि पर गणेश और गिरधारी खेती करते थे। इस प्रकार इस गवाह की मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर गणेश ने काश्तकारी किया है। वादी साक्षी राजू (वा0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रतनलाल पिता रामू भोयर का पुत्र गंगाराम उसका मामा है। उसने रतनलाल भोयर आमला स्थित भूमि देखी है जिस पर उसके गणेश पिता गिरधारी उर्फ जयधारी काबिज होकर काश्त करते हैं। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में बताया है कि उसने विवादित जमीन देखी है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि विवादित जमीन देखी है, गणेश खेती करता है विवादित जमीन पर मक्का बोया जाता है तथा घास काटने के लिए गणेश का आना-जाना लगा रहा है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि विवादित जमीन पर गणेश को

5-6 साल से खेती करते देख रहा है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर गणेश के द्वारा काश्तकारी की गई है।

56- प्रतिवादी साक्षी गंगाराम (प्रति0वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य की कंडिका 3 में बताया है कि गणेश का उसके पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार व कब्जा नहीं रहा। उसके द्वारा निराधार वाद प्रस्तुत किया है। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि गणेश को उसके पिता ने इस कारण से निकाल दिया है क्योंकि वह गाली बकवास करता था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि गणेश के निकाले के पूर्व से गणेश उसके पिता के साथ 5 साल से रहता था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में व्यक्त किया है कि गणेश को उसके पिता के द्वारा जो घर से निकालने का कारण बताया है उसके अलावा और कोई कारण नहीं था। जबकि इस गवाह ने मुख्यपरीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि पत्नी के बर्तन बेच दिये थे इसलिए रतनलाल ने गणेश को घर से निकाल दिया था, जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि गाली बकवास के संबंध में बताया है, जबकि मुख्यपरीक्षा में बर्तन बेचने का बताया है जबकि दोनों कारण विरोधाभासी है, जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं बल्कि यह माना जायेगा कि स्व0 रतनलाल के घर गणेश रहा है और उसने कृषि किया है।

57- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 यह उपबंधित करती है कि निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की जो सम्पत्ति है वह प्रथमतः उन वारिशों को जो अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है, इस प्रकार प्रथम अनुसूची में पुत्र पुत्री विधवा स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इस प्रकार वादी गणेश की माँ शांताबाई की मृत्यु के पश्चात् उसका मामा गंगाराम के साथ बराबर का अंश प्राप्त करने का अधिकारी है।

58- प्रतिवादी ने अपने लिखित तर्क में बताया है कि जहां तक वादी द्वारा उसके वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रश्न है। इस संबंध में वाद प्रश्न क्रमांक 6 एवं अतिरिक्त वाद प्रश्न निर्मित किये गये हैं। जिन्हें सिद्ध करने का भार वादी पर है, उल्लेखनीय है, कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में विवादित भूमि को पैतृक संपत्ति कहा है जो कि उसका मूल आधार है। जबकि इसके विपरित प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि को रतनलाल की पैतृक भूमि न होना कहते हुए उक्त भूमि रतनलाल की माता मंहगीबाई से प्राप्त होना कहा है। तथा यह भी अभिवचन किया है, कि मंहगीबाई को भूमि उसके मायके से प्राप्त हुयी थी रतनलाल के पिता रामू मूल रूप से कनौजिया के रहने वाले थे तथा उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, रामू को मंहगीबाई पर घर जवाई लाया गया था, मंहगीबाई को मायके से प्राप्त भूमि पर मंहगीबाई का नाम दर्ज हुआ था तथा मंहगीबाई की

मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि रतनलाल, छोटे लाल एवं लंगड़ी को प्राप्त हुई थी, इस प्रकार विवादित भूमि रतनलाल की पैतृक संपत्ति न होकर उसकी निजी संपत्ति रही है।

59— प्रतिवादी ने अपने लिखित तर्क में बताया है कि इस संबंध में वादी द्वारा मात्र यह कहा गया है, कि विवादित भूमि रतनलाल की पैतृक संपत्ति थी, परंतु वह कैसे पैतृक संपत्ति थी इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विवादित भूमि को पैतृक भूमि होना सिद्ध करने का भार वादी पर होते हुए उसकी ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में प्रदर्श डी 2 अधिकार अभिलेख वर्ष 1970 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 3 संशोधन पंजी दिनांक 17/12/77 तथा प्र0डी0 4 खसरा वर्ष 1949 से 1953 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया है। जिससे यह स्पष्ट एवं सिद्ध है, कि विवादित भूमि सहित अन्य भूमि रामू के जीवनकाल में वर्ष 1949 में मंहगीबाई जौजे रामू ने नाम दर्ज थी, जो वर्ष 1970 के अधिकार अभिलेख अनुसार रामू की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मंहगी बेवा रामू के नाम दर्ज हुई तथा मंहगी की मृत्यु पश्चात् दिनांक 17/12/77 की संशोधन पंजी के अनुसार उसके पुत्रों एवं पुत्री को प्राप्त हुई, उल्लेखनीय है, कि उक्त भूमि यदि पैतृक होती तो मंहगीबाई को उसके पति रामू से प्राप्त होती तथा उस स्थिति में राजस्व अभिलेख में मंहगी जौजे रामू के नाम पर दर्ज नहीं होती, यदि भूमि पैतृक होती तो निश्चित रूप से रतनलाल के पिता, रामू तथा रामू के पिता के नाम पर दर्ज होती, जिसके संबंध में वादी राजस्व अधिकारी से दस्तावेज प्राप्त कर सकता था। परंतु विवादित भूमि पैतृक न होने से कभी भी रामू अथवा उसके पिता के नाम दर्ज नहीं रही, यही कारण है कि वादी ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। जिससे यह कहा जा सके विवादित भूमि रतनलाल के पिता अथवा राम के पिता की थी तथा उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट एवं सिद्ध है, कि विवादित भूमि रतनलाल की पैतृक संपत्ति नहीं है।

60— वादी की ओर से तर्क में यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी स्वयं द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में वादी की ओर से दिये गये, इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आज्ञा रामू के मरने के बाद जमीनों पर मंहगीबाई का नाम दर्ज हो गया था। इस संबंध में तर्क है कि प्रतिवादी की ऐसी स्वीकारोक्ति से दस्तावेजों के विपरित तथ्यों को सिद्ध नहीं माना जा सकता। साक्षी के निरक्षर होने से इस प्रकार की स्वीकारोक्ति से दस्तावेजों से सिद्ध तथ्य पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्लेखनीय है, कि इसी साक्षी के आगे के प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति मंहगी को मायके से मिली थी। उपरोक्त लिखित तर्क के संबंध में न्यायालय की ओर से पाया गया है कि उसकी माँ से बटवारे के पश्चात् प्राप्त हुई थी जो कि विवादित भूमि स्व0 रतनलाल की स्व अर्जित मानी जायेगी।



प्र0पी0 5 के दस्तावेज के संबंध में उक्त दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-90 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य है और उक्त दस्तावेज की प्रत्येक अंतरवस्तु भी साक्ष्य में ग्राह्य है।

61— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 हे0 कुल रकबा 0.988 है, इस प्रकार वादी विवादित भूमि में से 1/2 भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. अतिरिक्त वाद प्रश्न कं. 1 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण**

62— विचारणीय प्रश्न अतिरिक्त वाद प्रश्न कं 2 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 09/10/1989 को प्रतिवादी गंगाराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित नहीं की गई है। अतिरिक्त वाद प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 हे0 कुल रकबा 0.988 हे0 में वादी विवादित भूमि में से 1/2 का स्वत्व आधिपत्यधारी है। ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि प्र0पी0 1 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17 फरवरी 2010 का किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नं. 707/1 रकबा 0.962 हे0 भूमि में से बेचा रकबा 0.962 हे0 भूमि जो कि पूर्ण रकबा विक्रय किया गया है, वह शून्य घोषित किया जाता है। क्योंकि वादी गणेश के बिना विभाजन के प्रतिवादी कं 1 गंगाराम के द्वारा प्रतिवादी कं. 2 अमरलाल पिता रामचरण के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17 फरवरी 2010 का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है।

63— प्रतिवादी कं0 2 अमरलाल ने प्रतिवादी गंगाराम से जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/10/1989 को कय किया है जिसकी प्रतिफल की राशि प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करने और उक्त राशि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण**

64— वादी साक्षी गणेश (वा0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रतिवादी कं 2 अमरलाल रजिस्ट्री विक्रय पत्र अवैध रूप से उसके नाम पर कर प्रतिवादी कं 3, 4 व अन्य को उक्त जमीन विक्रय करने की फिराक में है। जिस बाबत उसे ग्राम आमला के व्यक्तियों से जानकारी लगी। प्रतिवादी कं 3, 4 को उक्त कृषि जमीन या अन्य किसी को विक्रय करने से रोकना आवश्यक है। उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से खंडन किया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कांडिका

18 में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी कं 1 द्वारा भूमि को प्रतिवादी कं. 2 एवं 3 एवं अन्य लोगों को विक्रय करने के बारे में उसे इस कारण जानकारी है, ऐसा उसने सुना है। इस प्रकार वादी के द्वारा सुनी सुनाई बात के आधार पर अपनी साक्ष्य में बताया है किन्तु किस व्यक्ति के द्वारा सुना है उसका नाम भी नहीं बताया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी कं 2 से 3 विवादित भूमि को हस्तांतरित करने के लिए आमादा है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण**

65— इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रतिवादी कं. 03 एवं 04 विक्रय पत्र के साक्षी हैं, उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी गणेश ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे आमला में लोगों से पता चला कि प्रतिवादी कं0 2 अमरलाल उक्त विवादित भूमि को प्रतिवादी कं. 03, 04 को विक्रय करने के फिराक में है। इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया है वादी ने वाद की बहुल्यता से बचने के लिये उन्हें प्रतिवादी बनाया है जो कि उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे कोई सहायता वादी नहीं चाहता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण**

66— इस वाद प्रश्न को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण का कहना है कि रतनलाल की मृत्यु वर्ष 1990 में होने से मृत्यु दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वाद कारण उत्पन्न होता है जबकि वादी का कहना है कि उसे संशोधन पंजीयों एवं विक्रय पत्र की जानकारी उक्त प्रपत्रों को प्रमाणित नकल से हुई, वादी ने यह भी कहा कि उसे ग्राम आमला में दिनांक 16/03/10 को विक्रय पत्र दिनांक 17/02/10 के विक्रय की जानकारी लगी। वादी ने वाद दिनांक 19/03/10 को प्रस्तुत किया है, जानकारी लगने के दिनांक से तीन दिन के अंदर दावा प्रस्तुत कर दिया है जो कि समय के अन्दर है, क्योंकि विवादित सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 17/02/10 को हुआ है और वादी ने उक्त विक्रय पत्र को भी शून्य घोषित करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वाद समयावधि अंदर है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न कं 5 का निराकरण**

67— इस वाद प्रश्न को भी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि वादी ने अनावश्यक रूप से दावा

प्रस्तुत किया है बल्कि वादी की ओर से कहा गया है कि उसने स्व0 रतनलाल का उत्तराधिकारी होने के कारण दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण कोई प्रतिकारात्मक व्यय पाने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 5 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

### सहायता एवं वाद व्यय

68— वादी अपना दावा प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः निम्न आशय की डिक्री एवं आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

- 1— यह घोषित किया जाता है कि वादी ग्राम आमला, जिला बैतूल म0प्र0 स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 166/1 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 707/1 रकबा 0.980 हे0 कुल रकबा 0.988 में से 1/2 भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी है।
- 2— यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रं. 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रं. 2 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/02/10 शून्य व अवैध है।
- 3— प्रतिवादी क्रं. 1 स्वयं का एवं वादी का वाद व्यय वहन करेगा।
- 4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।  
उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर  
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
आमला जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुडोपा)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
आमला जिला बैतूल म0प्र0